

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- डॉ० हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 41/21

देवकरण पुत्र मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील व जिला सूरतगढ़

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़
2. बिरमा पत्नी मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
3. भैरांराम पुत्र मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
4. शौभा देवी पुत्री मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
5. रेखा पुत्री मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
6. रानी देवी पुत्री मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
7. केसर देवी पुत्री मनफूल जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री धर्मपाल सिहाग
2. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11.11.2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 09.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांत के पिता मनफूल पुत्र किशनदास का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 492/6 का 6.325 है० टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 अपीलांत के पिता को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांत के पिता का 40 वर्ष पुराना टी.सी.आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्त को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत सन 1970-71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जिसकी संलग्न रसीदे पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत के पिता के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नहीं लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांत के पिता व अपीलांत को नहीं दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांत के पति के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांत के पिता के नाम से आवंटित उक्त रकबा 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांत के पिता के नाम से टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काशत को निरस्त किया गया है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर

कि प्राकृतिक च्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थ के पिता एवं उनके आवंटन समय-समय पर चर्चीकीकरण होता रहा है व एकम कायम होती रही तथा अपीलार्थ के पिता के जीवन में अपीलार्थ के पिता का व पिता के देहांत दिनांक 26.02.2009 के बाद अपीलार्थ का कब्जा बदस्तूर बना आ रहा है। अपीलार्थ ने एकम भूमि को सुधार कर कानिल भवस्त बनाया। अपीलार्थ न्यायालय को मेरे पिता के नाम से आवंटित एकम टी.सी. आवंटन खातिर करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थीन आवेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं पश्चात भूमि वर्ष 1970 से ही यू. राजस्थान अधिनियम 1988 के तहत आवंटित होकर निरस्त अपीलार्थ के पिता व अपीलार्थ के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। पेशफेरी क्षेत्र स्थित भूमि की खातेवादी अधिकार देने के नियम व पंक्ति तथा मण्डली शेष शरतों द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलार्थ उक्त एकम के खातेवादी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलार्थीन आवेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि उक्त निर्णय, मिटेड फॉर्मों पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनियम न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। उक्त निर्णय साइकलीस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। तब उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाने व अपीलार्थ न्यायालय का अपीलार्थीन आवेश दिनांक 09.06.2006 निरस्त करमाया जावे।

3. अपील वर्ग इजिस्टर कर रैसोर्डेंट को खरिमे समान तलब किया गया तथा अधिनियम न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थ की ओर से अधिवक्ता श्री भर्गपाल सिन्हा उपस्थित हुए तथा पेशकार राज हाजिर आये। प्रकरण में दिनांक 20.10.2021 को रैसोर्ड संख्या 2 ता 7 के विशुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गयी। बहस समय पढा सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थ ने अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनियम न्यायालय ने अपना अपीलार्थीन आवेश दिनांक 09.06.2006 पारित कर अपीलार्थ के पिता व अपीलार्थ को सूने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलार्थ के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खरिज कर दिया। अधिनियम न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पेशफेरी में जाने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आसजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक च्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थ के पिता के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन समय-समय पर चर्चीकीकरण होता रहा व एकम कायम होती रही तथा अपीलार्थ के पिता के जीवन में अपीलार्थ के पिता का व उनके देहांत दिनांक 26.02.2009 के बाद अपीलार्थ का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलार्थ ने उक्त भूमि को सुधार कर कानिल काश्त बनाया। पाठहत न्यायालय ने अपीलार्थ के पिता के नाम का उक्त टी.सी. आवंटित एकम नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खरिज कर दिया जबकि अपीलार्थ का उक्त एकम नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी से ज्यादा दूरी पर है अधिनियम न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थ का एकम नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्थान मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खरिज करने में सहाम नहीं है। अधिनियम न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैसअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलार्थ की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेश (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी. सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलेक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थ ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकेशन न. एफ 9 (16) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्ल्यू 2016 (1) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निपरावी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान गल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलार्थ

अतिरिक्त पिता कलेक्टर
पूरनगर (जिला-बी. मण्डल)

